उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः 5722 / उ.प्र.कौ.वि.मि. / ई.एण्डसी. / 2020–21 / आ.पी.एल. / 1667

दिनांक : 26 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषयः आरपीएल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र स्थापना, बैच निर्माण, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रक्रिया हेतु संशोधित दिशा–निर्देश।

उक्त विषयक पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्याः 4472 / कौ0वि0मि0 / ईएण्डसी / आरपीएल / 1667 / 2019–20 दिनांक 03 जून, 2020 द्वारा प्रदेश में आरपीएल के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश (आपरेशनल गाईडलाइन्स) जारी किये गये थे।

2. उक्त गाईडलाइन्स में प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण से लेकर बैच निर्माण, प्रशिक्षणार्थी की अहर्ताओं, आरपीएल किट, आरपीएल प्रशिक्षण की अवधि (सामान्य व ब्रिज कोर्स), मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण, भुगतान की प्रक्रिया तथा रिपोर्टिंग आदि समस्त चरणों पर सविस्तार प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

3. उक्त गाईडलाइन्स के प्रस्तर–9 में भुगतान की प्रक्रिया के अन्र्तगत निम्नवत् व्यवस्था का उल्लेख किया गया हैः–

''प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा जनपद में संचालित सभी बैचों के सापेक्ष एक ही बार में क्लेम प्रस्तुत किया जायेगा, अतः उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मिशन द्वारा जनपद को दिये गये लक्ष्य को पूर्ण करने के उपरान्त ही भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत किया जाये।''

4. आरपीएल के अन्तर्गत बड़ी संख्या में नियमित बैचों के संचालन के दृष्टिगत भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत तथा अधिक व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से उक्त व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

''आरपीएल के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण सत्रों के सापेक्ष देयकों का भुगतान नियमित प्रशिक्षण सत्रों के सम्बन्ध में निर्धरित प्रक्रिया की भाँति बैचवार किया जायेगा। इसके सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा स्वयं को जनपद विशेष में आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करने के पश्चात् ही समस्त बैचों का भुगतान एक ही बार प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी।''

उक्त संशोधित प्राविधान तत्काल प्रभावी होंगे। पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03जून, 2020 के शेषे प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगें।

26/8/2020

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः / उ0प्र0कौ0वि0मि0 / एस / 2020–21 / आ.पी.एल. / 1667 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
3. मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला समन्वयक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
7. समस्त प्रशिक्षण प्रदाता, अनुबंधित उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
8. समस्त सेक्टर स्किल काउंसिल/सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (सी0यू0टी0एम0) को इस आशस से प्रेषित कि प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आरपीएल हेतु पोर्टल पर अपलोड बैच का मूल्यांकन पोर्टल पर निर्धारित तिथि में ही करना सुनिश्चित करें।
9. समस्त प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
10. प्रबंधक, (आईटी) को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक